

संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलेगा- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया

जयपुर, 15 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम है, इससे महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बढ़ेगी। इस अधिनियम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलेगा एवं शिक्षा, सुरक्षा, नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर महिलाओं की सीधी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महिलाएं और अधिक योगदान

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों में सीधी भागीदारी मिलेगी।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ छात्राओं ने सेल्फी व्हाइट पर सेल्फी ली।

दे सकेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं से इस अधिनियम के समर्थन में 9667173333 नम्बर पर मिस्ड कॉल करने का आ न भी किया। शर्मा बुधवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि हमारा समाज और देश तभी प्रगति करेगा, जब महिलाएं हर क्षेत्र में भागीदारी निभाएंगी। हमारी

सनातन संस्कृति में महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही, हर क्षेत्र में महिलाओं को हमेशा आगे रखा गया है।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में 20 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक लक्ष्यपति दीदी बनाई गई। साथ ही, लाडो प्रोत्साहन योजना से

अब तक 6 लाख 50 हजार से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

उपमुख्यमंत्री दिवा कुमारी ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में नारी शक्ति केन्द्र में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस अधिनियम से आजादी के बाद पहली बार संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33

प्रतिशत आरक्षण मिलने जा रहा है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सिग्नेचर वॉल पर हस्ताक्षर किए तथा मुख्यमंत्री के साथ छात्राओं ने सेल्फी व्हाइट पर सेल्फी भी ली। इस अवसर पर महिला बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार, संसद मंजू शर्मा, महिला एवं बाल विकास शासन सचिव पूनम सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं।

अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रोकर उन्हें वापस भेज चुके हैं। अमेरिका का उद्देश्य स्पष्ट रूप से ईरान के तेल निर्यात को रोकना है।

लेकिन इस कदम से वैश्विक बाजार भी अस्थिर हो रहे हैं, और तेल की कीमतें, थोड़े समय के लिए गिरने के बाद, फिर से 96 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गईं हैं।

दूसरी तरफ, ईरान ने भी कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि अगर अमेरिकी नावें अंधेरी जारी रहती हैं, तो वह फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर के प्रमुख व्यापार मार्गों को बंद कर सकता है।

अमेरिका के ब्लॉकेड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चीन के पास अनुमानित 1.3 अरब बैरल का विशाल तेल भंडार है। चीन का यह भंडार देश की तेल खपत को कम से कम चार महीनों तक पूरा कर सकता है। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद, चीन अपने भंडार से तेल जारी कर रहा है। हालांकि, नाकेबंदी के बाद, चीन लंबी अवधि की अस्थिरता की संभावना को लेकर चिंतित हो गया है। एक नया कारक रूस की घोषणाएं थीं, जिन्हें अमेरिका पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। रूस के विदेश मंत्री, सर्गेई लावरोव, वर्तमान में चीन का दौरा कर रहे हैं। वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साल के अंत में चीन के दौर

विश्व बैंक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अप लोन की शुरूआत होगी। भारत में विश्व बैंक के कार्यवाहक निदेशक पॉल प्रोसी ने कहा है कि इस परियोजना से युवाओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे वे आर्थिक गतिविधियों वाले विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ ले पाएंगे। इससे प्रदेश में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से प्राप्त 225 मिलियन डॉलर के ऋण की अंतिम परिपक्वता अवधि 35 वर्ष है, जिसमें स्टैप-अप लोन की सुविधा तथा 5 वर्ष की अनुग्रह अवधि भी शामिल है।

अदालत ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने सुबोध अग्रवाल को गत 9 अप्रैल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं।

लखनऊ में अग्निकांड 1200 झोंपड़ियां जली

लखनऊ, 15 अप्रैल। लखनऊ के विकासगंग सेक्टर-12 रिंग सड़क किनारे बसी अवैध बस्ती में बुधवार शाम आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 1200 झोंपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। झोंपड़ियों में रखे 100 के करीब गैस सिलिंडर भी फटे।

आग से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। बस्ती में बनी झोंपड़ियों से लोग जान बचाकर भागने लगे। 22 दमकल की गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाने का काम शुरू किया, जो रात 10 बजे तक चलता रहा। आग से 50 के करीब मवेशियों के जिंदा जलने की सूचना है, पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। कुछ बच्चे भी लापता हैं। पुलिस व प्रशासन बस्ती में सर्व ऑपरेशन चला रहा है। लोगों का आरोप है कि समय पर पुलिस व दमकल नहीं पहुंची और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। नाराज लोगों की पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से तीखी बहस और धक्का-मुक्की भी हुई।

■ **आग विकास नगर के पास रिंग रोड के किनारे बसी अवैध बस्ती में लगी। अभी पता नहीं चला कि जानमाल की कितनी हानि हुई।**

विकासगंग सेक्टर-12 स्थित मिनी स्टेडियम से कुछ दूरी पर तीन बीघा खाली जमीन पर वर्षोंसे लोग झोपड़ी बना कर रहे हैं। रोड की तरह मंगलवार सब कुछ सामान्य था। शाम करीब पांच बजे अचानक एक मरिजद नुमा झोपड़ी में आग लग। आग देखते ही कसम कसम से उसको बुझाने की कोशिश की पर नाकाम रहे।

बस्ती में आग लगने के बाद झोंपड़ियों में रखे गैस सिलिंडर एक के बाद एक फूटने शुरू हो गए।

प्रयागराज में ट्रेन हादसे में 5 की मौत

प्रयागराज, 15 अप्रैल। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर करछना के पास बुधवार शाम हृदयविदारक दुर्घटना हुई। ट्रेन की चपेट में आने से पांच लोगों की हो गई। मरने वाले तीन युवकों की पहचान हुई है, जबकि दो की पहचान करने की कोशिश हो रही है। रेलवे की ओर से भी मामले की जांच कराई जा रही है। पुलिस और जीआरपी के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर पचदेवरा गांव के पास हुए हादसे के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही।

बुधवार शाम करीब सवा छह बजे कालका एक्सप्रेस के लोको पायलट ने पचदेवरा गांव के पास पटरी पर एक युवक की लाश देखकर ट्रेन रोक दी। उसने कंट्रोल रूम को सूचना दी। ट्रेन के उदरने पर उसमें सवार कई यात्री नीचे उतर गए। चार युवक पटरी पर मौजूद थे। तभी कालका एक्सप्रेस का हार्न बजा तो पटरी पर मौजूद युवक चढ़ने के लिए आगे बढ़े।

फतेहगढ़ साहिब में बस पलटी, 8 की मौत

फतेहगढ़ साहिब, 15 अप्रैल। बैसाखी पर्व पर श्री आनंदपुर साहिब में माथा टेक कर लौट रही संगत की बस मंगलवार देर रात फतेहगढ़ साहिब के गांव भटेड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में आठ श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दो गंभीर घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चला है।

सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा बल की टीम और बस्ती पठाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को बस से निकाल कर तुरंत अस्पताल भेजा गया। हादसे की खबर मिलते ही एसएसपी फतेहगढ़ साहिब शुभम अग्रवाल, डीएसपी बस्ती पठाना राजकुमार शर्मा और विधायक रफिंदर सिंह हैप्पी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने राहत कार्य का जांचा लिया। पुलिस

केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल से खुलेंगे

देहरादून, 15 अप्रैल। आस्था और श्रद्धा के रूप में प्रतिष्ठित केदारनाथ धाम के कपाट वर्ष 2026 की यात्रा के लिए आगामी 22 अप्रैल को प्रातः 08:00 बजे वैदिक मंत्रोच्चार, विधि-विधान एवं सनातन परंपराओं के अनुरूप श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले भगवान की चल-विग्रह डोली 19 अप्रैल को केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 19 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली ऊखीमठ से प्रस्थान कर फाटा पहुंचेगी। इसके उपरांत 20 अप्रैल को डोली प्रातः फाटा से प्रस्थान कर गौरीकुंड स्थित पवित्र गौरी माई मंदिर पहुंचेगी और रात्रि विश्राम करेगी। अगले चरण में 21 अप्रैल को प्रातः गौरीकुंड से प्रस्थान कर भगवान की डोली श्री केदारनाथ धाम स्थित मंदिर भंडार पहुंचेगी। इसके साथ ही, धाम में धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। 22 अप्रैल को प्रातः 8 बजे, शुभ मुहूर्त में, वैदिक मंत्रों एवं पूजा-अर्चना के मध्य भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे, जिसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा।

भाजपा के सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

सम्राट चौधरी ने गृह विभाग सहित 29 विभाग अपने पास रखे

पटना, 15 अप्रैल। भाजपा के सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बुधवार को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ-साथ जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र यादव डिप्टी सीएम बने हैं।

शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने भले ही यह कहा हो कि बिहार में नरेन्द्र मोदी और नीतीश मॉडल ही चलेगा। लेकिन शपथ के कुछ घंटे बाद जो विभागों का बंटवारा हुआ, वह काफी कुछ कहता है। विभागों का बंटवारा जिस तरह से हुआ है, उससे लग रहा है कि भाजपा ही अब बिहार में सब कुछ है और जेडीयू सिर्फ सरकार में सहयोगी है।

सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग हैं। वहीं, जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम को 18 विभाग ही मिले हैं। विजय चौधरी को 10 और बिजेन्द्र यादव को 8।

बिहार में शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद विभागों का बंटवारा हो गया। अभी बिहार सरकार में सिर्फ मुख्यमंत्री और

■ **जदयू कोटा से उपमुख्यमंत्री बने विजय चौधरी को 10 और बिजेन्द्र यादव को 8 विभाग मिले हैं।**

■ **सरकार में सबसे ताकतवर गृह विभाग माना जाता है तथा नीतीश कुमार ने भी हमेशा गृह विभाग खुद ही रखा पर इस बार जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें गृह विभाग भाजपा को देना पड़ा था।**

दो डिप्टी सीएम हैं। विभागों का बंटवारा भी इन्हीं तीनों में हुआ है। लेकिन बंटवारा जिस तरह से हुआ है, वह कहता है कि बिहार में सम्राट चौधरी को सरकार के भीतर सरकार वाली ताकत दी गई है। सरकार में सबसे ताकतवर गृह विभाग माना जाता है। पिछले साल नवंबर में जब विधानसभा चुनाव हुए, तब जाकर गृह विभाग भाजपा के पास आया था। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने कभी भी गृह मंत्रालय किसी और को नहीं दिया। चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया। दो दशकों में यह पहली बार था, जब नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं था।

2025 में हुए इस बंटवारे के बाद सम्राट चौधरी को जिस तरह से गृह विभाग मिला था, उससे ही लगने लगा था कि बिहार में भाजपा अब जेडीयू का बड़ा भाई बन गई है। इस बात का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि जब 2020 के चुनाव में जेडीयू ने 43 सीटें जीती थीं, तब भी नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास ही रखा था। महागठबंधन के साथ सरकार में भी नीतीश पर गृह विभाग छोड़ने का दबाव पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे अपने हाथ से जाने नहीं दिया। नीतीश कुमार जानते थे कि गृह विभाग पर पकड़ होना कितना मायने रखता है।

‘कांग्रेस महिला आरक्षण की समर्थक पर इस बिल के परिसीमन प्रावधानों का भारी विरोध करती है’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद प्रैस वार्ता में कहा

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। कांग्रेस सहित, विपक्ष के कई प्रमुख दलों ने लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश किए जाने से एक दिन पहले बुधवार को कहा कि वे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के पक्ष में हैं, लेकिन इस विधेयक के परिसीमन के प्रावधानों का पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये 'खतरनाक' है।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन और परिसीमन संबंधी विधेयक को कड़ा कि वह महिला आरक्षण विधेयक का लागतार समर्थन किया है और इस बात पर जोर दिया है कि इसे पहले पारित संशोधन के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि लगता है कि

■ **कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा यह परिसीमन बड़ा खतरनाक है। सरकार समानुपात में सीटें बढ़ाने की बात कह रही है पर परिसीमन के प्रावधानों में यह सब नहीं दिख रहा है।**

संवाददाताओं से कहा, हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं। हालांकि, जिस तरह से इसे लाया गया है, वह संदिग्ध है और हमें इस पर गंभीर आपत्ति है। यह राजनीति से प्रेरित है। मोदी सरकार विपक्षी दलों को निशाना बनाने और दबाने के लिए इस तरह के काम कर रही है।

उनका कहना था कि हमने महिला आरक्षण विधेयक का लागतार समर्थन किया है और इस बात पर जोर दिया है कि इसे पहले पारित संशोधन के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि लगता है कि

2023 में भी यही थी कि इस प्रावधान को 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने जनगणना और परिसीमन की शर्त लगा दी थी। लेकिन अब सरकार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव प्रचार के बीच ये तीन विधेयक ला रही है। कांग्रेस महासचिव रमेश ने कहा, "ये परिसीमन बड़ा खतरनाक है। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री और सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि लोकसभा में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ा दी जाएं और ये समानुपातिक तौर पर सभी राज्यों के लिए लागू हों, लेकिन ये बात इस विधेयक में शामिल नहीं है। इस विधेयक के आने से दक्षिण भारत के राज्यों, उत्तर-पश्चिमी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों का अनुपात घटेगा। बार-बार समानुपात की बात की जा रही है, लेकिन वो परिसीमन के प्रावधानों में कहीं दिख नहीं रहा है।

‘कोर्ट के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना सबसे कठिन काम है’

सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले में अहम टिप्पणी की

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। सबरीमाला मामले की समीक्षा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी भी संवैधानिक न्यायालय के लिए करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्थाओं को गलत या वृष्टिपूर्ण घोषित करना सबसे कठिन कार्यों में से एक होता है।

यह टिप्पणी न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन से जुड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागराज ने सुनवाई के दौरान कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म की मूल भावना को कमजोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने धार्मिक मामलों में अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप को लेकर सावधानी बरतने की बात कही। सुनवाई के दौरान, अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या धार्मिक

■ **सबरीमाला विवाद मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित है।**

मामलों में गैर-आस्थावान व्यक्तिओं द्वारा दायर जगहित याचिकाओं पर सुनवाई होनी चाहिए। पीठ ने वरिष्ठ अधिकता अधिपक्ष मनु सिंघवी की दलीलों को सुना, जिन्होंने आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत पर स्वावल उठाए। उनका कहना था कि यह सिद्धांत न्यायाधीशों को यह तय करने की शक्ति देता है कि किसी धर्म में क्या आवश्यक है और क्या नहीं, जो न्यायिक सीमा से बाहर जा सकता है।

सिंघवी ने कहा कि यदि कोई प्रथा सच्चे विश्वास और आस्था के साथ धर्म का हिस्सा मानी जाती है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण मिलना चाहिए, बशर्त वह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के खिलाफ न हो। सुप्रीम कोर्ट इस समय यह तय कर

कर रही है, जिनमें धार्मिक स्थलों में प्रवेश, समुदायगत प्रार्थना और महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। यह मामला केवल सबरीमाला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में धर्म, आस्था और संविधान के बीच संतुलन तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल बन गया है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।

सीबीएसई के कक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिशत के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों के मुकाबले बेहतर रहा। परिणामों के मुताबिक, 94.99 प्रतिशत छात्राएं पास हुईं, जबकि 92.69 प्रतिशत छात्र उतीर्थ हुए। ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों का पास प्रतिशत 87.50 रहा। संस्थानगत प्रदर्शन

की बात करें तो केन्द्रीय विद्यालय (केवी) ने 99.57 प्रतिशत के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इसके बाद जवाहर नोवोदय विद्यालय (जेएनवी) 99.42 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहे। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का पास प्रतिशत क्रमशः 91.43 और 91.01 रहा।

सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जमानत याचिका में आरोपी की ओर से कहा गया कि वह बीते एक साल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। ऐसे में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में समय लगने को देखते हुए उसे जमानत दी जाए। इसका विरोध करते हुए एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि आरोपी ने एसआई परीक्षा में दो अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दी थी, हालांकि दोनों अभ्यर्थी बाद में साक्षात्कार में फेल हो गए थे। इसके साथ ही उसने पचवारी भर्ती में भी डमी अभ्यर्थी की भूमिका निभाई थी। उसने आरएसए अधिकारी होने हुए एड अपराध किए हैं। ऐसे अधिकारी पूरे तंत्र के लिए खतरा हैं। ऐसे में उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

‘हर राज्य की मौजूदा लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि होगी’

केन्द्र सरकार ने परिसीमन पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। केन्द्र सरकार ने परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी दलों की आलोचना के बीच स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्यों में लोकसभा सीटों का इजाफा वर्तमान का 50 प्रतिशत होगा।

विपक्षी दलों का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि असमान होने के कारण राज्यों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिशत घट सकता है। खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसपर आपत्ति जतायी है, जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है। इनके मुख्यमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज कराया है।

महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या को बढ़ाने को लेकर सरकार कल से संसद की विशेष बैठक में विधेयक लाने जा रही है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, नवीनतम जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार परिसीमन होगा। सूत्रों ने बताया कि सरकार का

■ **केन्द्र सरकार के अनुसार उदाहरण के लिए तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें बढ़कर 59 हो जाएगी इसी प्रकार केरल में सीटें 20 से बढ़कर 30, कर्नाटक में 28 से बढ़कर 42, आंध्र में 25 से बढ़कर 37, तेलंगाना में 17 से बढ़कर 25 व ओडिशा में 21 से बढ़कर 31 सीटें हो जाएगी।**

कहना है कि राज्यों को लोकसभा की सीट अनुपात पर आवंटित की जाएगी। हर राज्य की वर्तमान सीट संख्या में 50 प्रतिशत तक इजाफा होगा। इससे किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। इस संबंध में प्रस्तावित विधेयक में भी इस बात को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। किसी को गलत अर्थ नहीं निकलना चाहिए और पूरी स्थिति संसद के पटल पर स्पष्ट कर दी जाएगी।

पूरे विरोध के केन्द्र में दक्षिण भारत के राज्य हैं, जिनका कहना है कि हमारी नीतियों के कारण हमारे राज्यों की जनसंख्या में उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले कम वृद्धि हुई है। इस कारण से

2011 की जनसंख्या पर आधारित परिसीमन की प्रक्रिया में दक्षिण भारतीय राज्यों के सीटों में कटौती होगी और उनके राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व काम हो जाएगा।

उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं जिनमें 20 का इजाफा कर इसे 59 बनाया जाएगा। केरल में वर्तमान में 20 सीटें हैं, और ये बढ़ कर 30 हो जाएंगी। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, जो 42 हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, जो बढ़ कर 37 हो जाएंगी। तेलंगाना में 17 हैं, जो बढ़ कर 25 होंगी। ओडिशा में 21 सीटें हैं, जो बढ़ कर 31 होंगी।